न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

R.C.M.S. id : 2018/00003

प्रकरण संख्या : 1/18

1. दिनेश कुमार सुमन आत्मज मढीलाल
2. अजय कुमार सुमन पुत्र सत्यनारायण सुमन
3. धनराज सुमन पुत्र मढीलाल

जाति माली, निवासी गिरधरपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रार्थीगण)

वनाम

1. धनराज
2. विहारी
3. प्रताप

पिसरान भोलू जी, जाति माली, निवासीगण ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. एक्ट

दिनांक : 26.02.2020

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री अरूण कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

1- प्रार्थीगण की ओर से मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वावत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- *प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –*

- प्रार्थीगण के स्वयं के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 997, 1107, 1109, 1110, 1308, 1309, कुल किता 6 रकवा 1.07 हैक्टर वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण ने चारों तरफ पत्थरकोट कर रखी है।
- उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही उनका कोई कब्जा ह आराजी पर कभी रहा है तथा उक्त भूमि ही प्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है।
- अप्रार्थीगण लडाकू झगडालू प्रवृति तथा आपराधिक व्यक्ति है और प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर वंचित करना चाहता है, जिसके वावत पूर्व में भी कई बार कोशिश की जा चुकी है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त अवैधानिक कृत्यों में सफल हो गया तो प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात होगा और प्रार्थीगणों को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इससे अनेक विवाद पैदा होंगे तथा प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा।

ACM (HQ), Kota

प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया है, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है।

o अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित की जावे कि प्रतिपक्षी, विवादित आराजी, जिसके चारों ओर पत्थर की कोट हो रही है, इस आराजी पर अप्रार्थीगण ताकत के बल पर न तो अवैधानिक तरीके से प्रवेश करे और ना ही पत्थर कोट को तोड फोड व क्षतिग्रस्त करे और न ही प्रार्थीगण की भूमि को नष्ट करे और ना ही क्षति पहुंचावे तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में ताकत के बल पर कोई मजाहमत एवं मदाखलत नहीं करें और प्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें, ऐसा कृत्य न तो प्रतिपक्षी स्वयं करे और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

o प्रार्थना पत्र के साथ प्रकरण की विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 की फोटोप्रति पेश है।

3- <u>अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के कथन अस्वीकार कर निवेदन किया गया कि :-</u>

* प्रार्थीगण का कोई प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है।
* प्रार्थीगण, प्रतिपक्षीगण के परिवार से अकारण ही रंजिश रखते है तथा आये दिन प्रतिपक्षीगण और उनके परिवारजनों से लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।
* प्रार्थना पत्र के तथ्यों के विपरीत प्रार्थीगण स्वयं, प्रतिपक्षीगण की आराजी में दखलन्दाजी करते चले आ रहे है तथा आये दिन प्रतिपक्षीगण की फसल को नुकसान पहुंचाते रहे है, जिसके विरूद्ध पुलिस थाना कैथून में शिकायत दर्ज करवाई गई है। प्रतिपक्षीगण अत्यन्त ही सीधे सादे एवं साधारण व्यक्ति है तथा अपनी स्वयं के खाते की आराजी पर शान्तिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी कारण के प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है।
* प्रतिपक्षीगण ने न तो कभी प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुंचाया है और न फसल को काटा है और न ही कोटशुदा बाउन्ड्री को तोडने का प्रयास किया है। प्रार्थीगण की आराजी में कच्चा कोट किया हुआ है, जो जगह जगह से टूटा पडा है। प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण की आराजी में प्रवेश नहीं किया है और न ही करने की आवश्यकता रही। प्रार्थीगण स्वयं अपनी आराजी में काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने की धमकी नहीं दी है।
* प्रार्थीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार किया है तथा कथन किया है कि वे प्रार्थीगण की आराजी से कोई वास्ता नहीं रखते है, तो विवादित आराजी पर निषेधाज्ञा जारी किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। प्रार्थीगण की आराजी पर पत्थर की कोट होने के कथन को अप्रार्थीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे। अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उनके पक्षकारों ने कभी भी प्रार्थीगण की आराजी को खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं किया है। प्रतिपक्षीगण अपनी स्वयं की आराजी पर काश्त करते है। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अकारण पेश किया है जो खारिज किया जावे।

ACM (JD), KOTA

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कानों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी॰पी॰सी॰ के प्रावधानानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने हेतु निम्न तथ्यों पर विचार किया गया –

(क) *प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) केस :–*

किसी भी प्रकरण का प्रथम दृष्ट्या मामला कायम करने के लिये चार तत्व आवश्यक तत्व "① एक कानूनी कर्तव्य का अस्तित्व जो प्रतिवादी को वादी के लिये बकाया है। ② प्रतिवादी के उस कर्तव्य का उल्लंघन ③ वादी का चोट की पीडा ④ सबूत हैं कि प्रतिवादी के उल्लंघन के कारण चोट लगी।" है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के कथनानुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज अभिलिखित काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के पडोसी काश्तकार है। इससे अप्रार्थीगण का यह कानूनी कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रार्थीगण की आराजी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के बजाय किसी अन्य नुकसान करने वाले से भी आराजी का बचाव करे। यहाँ पडोसी काश्तकार की आराजी की रक्षा करने के स्थान पर उसे खुर्द बुर्द करने का प्रयास करने से अप्रार्थीगण द्वारा कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है। प्रार्थीगण का आरोप है कि अप्रार्थीगण ने उनकी आराजी के किनारों पर बनी पत्थर की कोट को तोड दिया है, जो कि प्रार्थीगण को चोट पहुंचना है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब दावा में प्रार्थीगण की आराजी के चारों तरफ टूटी हुई पत्थर की कोट होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से पेश यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या (Prima Facie) केस है।

(ख) *सुविधा का सन्तुलन :–*

इस बिन्दु को अपने पक्ष में सिद्ध करने के लिये वादी को स्वयं को खातेदार तथा काबिज काश्त होना प्रमाणित करना होता है अर्थात प्रार्थी के खातेदार होने तथा आराजी पर काबिज काश्त होने की स्थिति में ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल माना जायेगा। इसमें भी प्रार्थी का काबिज काश्त होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यदि प्रार्थी अभिलिखित खातेदार तो है किन्तु काबिज काश्त नहीं है तो उसे अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकेगी वहीं दूसरी ओर यदि प्रार्थी खातेदार नहीं है और विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तो भी सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के ही पक्ष में प्रबल होगा। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी की जमाबन्दी की प्रति पेश की गई है जो प्रार्थीगण के अभिलिखित काश्तकार होने के कथन की पुष्टि करती है। प्रार्थीगण अपनी फसल पर काबिज काश्त है तथा विवादित आराजी पर प्रार्थी की फसल भी खडी है। प्रार्थीगण के कथन की, अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब दावा में यह कहते हुये पुष्टि की गई है कि उनके द्वारा कभी भी प्रार्थीगण की फसल को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का विवादित आराजी का अभिलिखित काश्तकार होने, उसका विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने तथा आराजी पर उसके काश्त की फसल खडी होने के फलस्वरूप सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

(ग) *अपूरणीय क्षति का बिन्दु :–*

जो पक्ष स्थगन आदेश चाहता है, उसे ऐसी आशंका होनी चाहिये कि, यदि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया गया तो उसे ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में धन के रूप में नहीं की जा सकेगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण की विवादित आराजी के चारों तरफ बनी पत्थर कोट को तोडने व फसल नष्ट करने के आरोप बताये गये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की आराजी मे कच्चा कोट होने तथा उसके जगह जगह से टूटा होने का कथन अंकित किया है

जो स्पष्ट करता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी की फसल के रक्षार्थ कोट किया हुआ है जो टूटा हुआ है। इस प्रकार पत्थर के कोट के टूटने से प्रार्थीगण की फसल नष्ट होने की पूर्ण संभावना है तथा फसल के नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रार्थीगण द्वारा की गई सम्पूर्ण मेहनत व्यर्थ हो जायेगी क्योंकि एक काश्तकार के लिये उसकी फसल का सुरक्षित रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसी के आधार पर ही वह अपने आर्थिक, पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि होने से अपूरणीय क्षति का विन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

6- उपरोक्तानुसार प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर विवेचन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल होने तथा अपूरणीय क्षति का विन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वावत अस्थई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध 'ताफैसला वाद' इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 997, 1107, 1109, 1110, 1308, 1309, कुल किता 6 रकवा 1.07 हैक्टर वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के चारों तरफ बने पत्थर कोट को तोडकर, प्रार्थीगण की आराजी में घुसाकर, उनकी फसल को नष्ट करके अथवा अन्य किसी भी प्रकार से आराजी की पत्थर की कोट व फसल को खुर्द बुर्द करने का प्रयास नहीं करे। प्रार्थीगण की आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति कायम रखे। पत्रावली फरावल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील संलग्न मूलवाद हो।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा